यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) के माह 12/2016 से 07/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 27.08.2018 से 04.09.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 08.12.2016 से 21.12.2016 तक श्री दानिश इकबाद, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 10/2015 से 11/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 07/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं तथा स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र दो विकास खण्डों क्रमशः भीमताल एवं बेतालघाट हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	53.57	–	709.45	626.93	144.37	136.63	–	136.09	–	7.74
2016–17	43.16	–	872.17	742.38	156.96	156.95	–	172.95	–	0.01
2017–18	14.27	–	1252.49	1050.49	202.05	196.21	–	216.27	–	5.84
2018–19 (7/18)	42.55	–	2552.87	212.58	149.75	76.66	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0, बैक खाते एवं कोषागार को समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	618.01	546.83	–	71.18
2016–17		–	647.24	618.31	–	28.93
2017–18		–	1070.98	927.95	–	143.03
2018–19 (7/18)		–	2539.37	198.36	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत	

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन अथोराईजेशन के रुप में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''ब'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

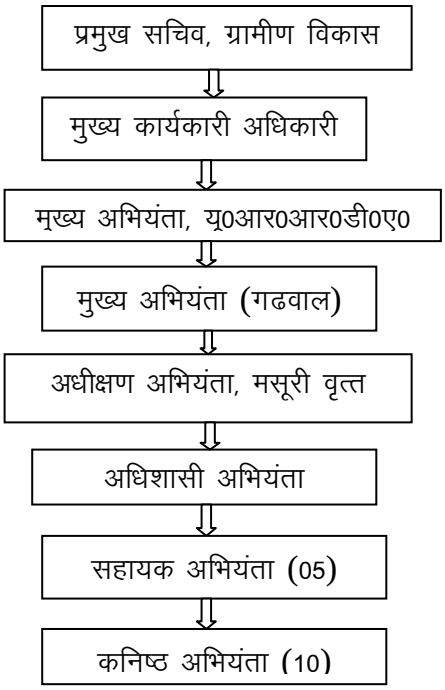

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2018 एवं जून 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 11 निर्माण कार्यों (पूर्ण–06 एवं प्रगतिरत–05) को विस्तृत विश्लेषण जॉच हेतु चयन किया गया। प्रतिचयन माह 07/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में मार्च 2018 तक का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. फार्म 51 माह 07/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।
6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 07/2018 के अन्त में : शून्य
7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: विभागीय अविवेकपूर्ण निर्णयों/कमियों के कारण कार्यों में रु0 404.79 लाख की लागत वृद्धि सहित रु0 615.62 लाख व्यय के बावजूद लक्षित बसावटों की जनसंख्या का लाभान्वित न होना।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 06 पैकेजों के रुप में फतेहपुर बेल बसानी से नाईसेला (किमी0 0 से 10) हेतु रु0 349.61 लाख, नाईसेला से बोहरागांव (किमी0 11 से 20) हेतु रु0 346.35 लाख एवं बोहरागांव से देवीधुरा (किमी0 21 से 32) हेतु रु0 420.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (जून 2009)। इसके अतिरिक्त इन मोटर मार्गों में पॉच पुलों ds fuekZ.k gsrq किमी0 6 एवं 8 में 36 मी0 स्पान : रु0 232.02 लाख, किमी0 12 एवं 18 में 36 मी0 स्पान : रु0 243.73 लाख एवं किमी0 25 में 30 मी0 स्पान : रु0 120.47 लाख फेस–VIII में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (अक्टूबर 2010)। मोटर मार्ग निर्माण का प्रमुख उद्देश्य कोर नेटवर्क में असंयोजित बसावटों (देवीधुरा, जमीरा, लीछूसानी, नाईसेला, अनरोडी एवं बेल) की 1539 जनसंख्या को संयोजित कर लाभान्वित किया जाना था।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) के उपरोक्त मोटर मार्गों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा एन0आर0आर0 डी0ए0 की स्वीकृति के पश्चात् इन 06 आगणनों हेतु एक ही निविदा आमंत्रित की गई (01.10.2010) तथा ठेकेदार के साथ रु0 1121.82 लाख का अनुबन्ध संख्या 27/एस0ई0– पी0एम0जी0एस0वाई0 गठित किया गया (22.03.2011)। मोटर मार्गों में पडने वाली वनभूमि (16.87 है0) की विधिवत स्वीकृति (24.03.2012) भारत सरकार द्वारा अनुबन्ध गठन के एक वर्ष पश्चात् मिलने के कारण खण्ड द्वारा अनुबन्ध गठन की तिथि पुनरीक्षित की गई (26.03.2012)। इसके पश्चात् पेडों का छपान/कटान में भी सात माह का विलम्ब किया गया, जिसके कारण कार्य प्रारम्भ में 19 माह का विलम्ब हुआ। कार्य प्रारम्भ में विलम्ब के कारण ठेकेदार द्वारा दर वृद्वि हेतु अनुरोध किया (20.09.2013), जिस पर शासन द्वारा रु0 340.81 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई (21.03.2014)। इसप्रकार, विलम्ब के कारण रु0 340.49 लाख की वृद्धि करते हुए अनुबन्धित धनराशि रु0 1462.31 लाख की गई। ठेकेदार द्वारा समस्त कार्यों को तीन बार समयवृद्धि स्वीकृति (30.06. 2016) के बावजूद भी पूर्ण नहीं किए जाने के कारण खण्ड द्वारा अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया (21.07.2017)। अन्तिमीकरण के समय ठेकेदार को अनुबन्धित धनराशि रु0 1462.31 लाख के सापेक्ष रु0 590.68 लाख का व्यय भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अनुबन्धित राशि	अद्यतन व्यय	स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष राशि (3-5)	नये अनुबन्ध की राशि	स्वीकृति के सापेक्ष आधिक्य (+) /कमी (-)	नये अनुबन्ध के अनुरुप व्यय राशि
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	फतेहपुर से नाईसेला (किमी0 0 से 10)	349.61	268.03	234.94	114.67	78.72	(-) 35.95	6.37
2.	नाईसेला से बोहरागांव (किमी0 11 से 20)	346.35	295.26	17.37	328.98	–	–	–
3.	बोहरागॉव से देवीधुरा (किमी0 21 से 32)	420.52	331.59	249.20	171.32	134.84	(-) 36.48	18.57
4.	फतेहपुर से नाईसेला मो0मा0 के किमी0 6 एवं 8 में 36 मी0 स्पान पुल	241.12	227.22	89.17	151.95	216.25	(+) 64.30	–
5.	नाईसेला से बोहरागांव मो0मा0 के किमी0 12 एवं 18 में स्टील पुल	243.73	228.79	00	243.73	–	–	–
6.	बोहरागांव से देवीधुरा मो0मा0 के किमी0 25 में 30 मी0 स्पान पुल	118.47	111.42	00	118.47	–	–	–
	योग :–	**1719.80**	**1462.31**	**590.68**	**1129.12**	**429.81**		**24.94**

आगे जॉच में पाया गया कि अन्तिमीकरण के पश्चात् खण्ड द्वारा उपरोक्त स्वीकृत 06 कार्यों के सापेक्ष 03 कार्यों के अवशेष कार्य हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की गई (02.11.2017.) तथा रु0 429.81 लाख के तीन अनुबन्ध[1] गठित किए गये। वर्तमान में उक्त अनुबन्धों के सापेक्ष कार्य प्रगतिरत थे। खण्ड द्वारा तीन कार्यों (नाईसेला से बोहरागांव (किमी0 11 से 20), नाईसेला से बोहरागांव मो0मा0 के किमी0 12 एवं 18 में स्टील पुल एवं बोहरागांव से देवीधुरा मो0मा0 के किमी0 25 में 30 मी0 स्पान पुल) हेतु वर्तमान तक कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। जिसके कारण उक्त तीनों कार्य लेखापरीक्षा अवधि तक अनारम्भ थे। कार्यों के अनारम्भ रहने का प्रमुख कारण पूर्व में स्वीकृत वनभूमि (16.87 है0) में से 3.85 है0 वनभूमि किमी0 11 से 20 के मोटर मार्ग में गलत तथ्यों अर्थात दूसरे वन प्रभाग की वनभूमि सम्मिलित होने के कारण विवादित थी। खण्ड द्वारा विवादित एवं अन्य वन प्रभाग की वनभूमि का प्रस्ताव (3.85 है0) विधिवत स्वीकृति (24.03.2012) के चार वर्ष से अधिक समय पश्चात् वन विभाग के नोडल कार्यालय को प्रेषित किया गया (03.12.2016), जिसकी स्वीकृति वर्तमान तक लम्बित थी।

इसप्रकार, विभागीय अविवेकपूर्ण निर्णयों/कमियों (i) वनभूमि की विधिवत स्वीकृति से पूर्व अनुबन्ध गठित कर 19 माह के विलम्ब से मूल अनुबन्ध की धनराशि में रु0 340.49 लाख की वृद्धि करने, (ii) स्वीकृत 06 कार्यों हेतु एक ही अनुबन्ध गठन से सम्पूर्ण कार्यों के अपूर्ण रहने, (iii) वनभूमि की पूर्व स्वीकृति विवादित एवं लम्बित रहने तथा (iv) फतेहपुर से नाईसेला मोटर मार्ग के किमी0 6 एवं 8 में 36 मी0 स्पान पुलों में रु0 64.30 लाख के आधिक्य के परिणामस्वरुप न केवल मोटर मार्ग में रु0 404.79 लाख की लागत वृद्धि हुई अपितु नाईसेला से बोहरागांव (किमी0 11 से 20) एवं पुलों का अनारम्भ रहने एवं रु0 615.62 लाख (पूर्व अनुबन्ध : रु0 590.68 लाख एवं नये अनुबन्ध : 24.94 लाख) व्यय के बावजूद भी लक्षित बसावटों की 1539 जनसंख्या विगत आठ वर्षों से मोटर मार्ग के लाभ से बंचित रही। यदि प्रारम्भ में ही स्वीकृत आगणनों के कार्यों हेतु पृथक–पृथक अनुबन्ध गठित किए जाते तो वनभूमि के विवादित कार्य को छोडकर अन्य कार्य पूर्ण किए जा सकते थे तथा इन मार्गों से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या को आवागमन का लाभ मिलता।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि वनभूमि की विधिवत स्वीकृति विलम्ब तथा पुनः निविदा में उच्च दरों पर निविदा प्राप्त होने के कारण आधिक्य पर अनुबन्ध किया गया। अनारम्भ कार्यों के सम्बन्ध में बताया गया कि विधिवत वनभूमि की स्वीकृति में वनभूमि कक्ष में विवाद हो जाने के कारण प्रकरण विवादित हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वनभूमि की विधिवत स्वीकृति के पश्चात् ही अनुबन्ध गठित किया जाना चाहिए था, जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया। परिणामस्वरुप रु0 615.62 लाख व्यय के बावजूद लक्षित बसावटों की जनसंख्या विगत आठ वर्षों से लाभान्वित नहीं हो सकी।

अतः विभागीय अविवेकपूर्ण निर्णयों/कमियों के कारण कार्यों में रु0 404.79 लाख की लागत वृद्धि सहित रु0 615.62 लाख व्यय के बावजूद लक्षित बसावटों की जनसंख्या का लाभान्वित न होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] संख्या 100 दिनॉक 16.02.2018 : रु0 78.72 लाख, सं0 101 दिनॉक 16.02.2018 : रु0 134.84 लाख एवं सं0 25 दिनॉक 05.05.2018 : रु0 216.25 लाख।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 16.30 लाख का अदेय लाभ।

अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, ब्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (i) अनुबन्धित धनराशि का 0.4 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, (ii) अनुबन्धित धनराशि का 0.4 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबन्धित धनराशि का 0.4 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) के चयनित कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही खण्ड कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 1.2 प्रतिशत की धनराशि उनके चालू एवं अन्तिम देयकों से कटौती की गई। अतः लेखापरीक्षा जॉच हेतु चयनित पूर्ण 06 कार्यों अनुबन्धित धनराशि रु0 1358.04 लाख के सापेक्ष 1.20 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि रु0 16.30 लाख की कटौती नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि	अनुबन्धित राशि	बीमा कटौती योग्य राशि
1.	घोडाखाल से धुलई स्टेज–।।	155.46	164.39	197268.00
2.	नलेना से चौपडा स्टेज–।।	303.59	300.08	360096.00
3.	हरतपा से हली स्टेज–।	295.12	247.83	297396.00
4.	भुजियाघाट सुर्यागॉव तल्ला स्टेज–।।	175.51	170.23	204276.00
5.	अमेल से खोला स्टेज–।।	239.49	223.97	268764.00
6.	बजुन से अघौडा स्टेज–।।	251.60	251.54	301848.00
योगः–		**1420.77**	**1358.04**	**1629648.00**

इसप्रकार, रु0 16.30 लाख की कटौती न किए जाने से न केवल ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहुॅचाया गया अपितु मोटर मार्गों में उस हद तक काम के अलावा नुकसान का जोखिम बना रहा जब तक मोटर मार्ग के अनुबन्धों का अन्तिमीकरण न किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने आपत्ति स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि आगामी देयकों से कटौती की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बीमा पॉलिसी उपलब्ध न कराए जाने पर देयकों से 1.20 प्रतिशत की धनराशि की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 16.30 लाख के अदेय लाभ पहुॅचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 विशिष्टियों के विपरीत कार्य सम्पादन कर रु0 39,807 का व्ययाधिक्य।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) के घोडाखाल से धुलई एवं अमेल से खोला मोटर मार्ग से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि घोडाखाल से धुलई मोटर मार्ग में प्रावधान मोर्ड (MORD) आई0आर0सी0 ग्रामीण सड़क की विशिष्टियों के द्वारा पेवमेंट कार्य के Bituminous Surfacing Courses (प्राइमर कोट, टैक कोट, प्रीमिक्स कारपेट एवं सील कोट) में प्राईमर कोट एवं टैक कोट 11448.90 वर्गमी0 बिछाई गई तथा इसके ऊपर प्रीमिक्स कारपेट 11424.45 वर्गमी0 एवं सील कोट 11744.32 वर्गमी0 बिछाई एवं भुगतान की गई। इसीप्रकार, अमेल से खोला मोटर मार्ग में पेवमेंट कार्य के Bituminous Surfacing Courses (प्राइमर कोट, टैक कोट, प्रीमिक्स कारपेट एवं सील कोट) में प्राईमर कोट एवं टैक कोट 15320.50 वर्गमी0 बिछाई गई तथा इसके ऊपर प्रीमिक्स कारपेट एवं सील कोट 15391.75 वर्गमी0 बिछाई एवं भुगतान की गई। माप पुस्तिका में Bituminous Surfacing Courses जैसे प्राइमर कोट, टैक कोट, प्रीमिक्स कारपेट एवं सील कोट मदों की गणना मार्ग के कुल लम्बाई एवं बिछाई गयी सामग्री की चौडाई वर्गमीटर के आधार पर की जाती है तथा एक समान लम्बाई एवं चौडाई होने के कारण प्रयुक्त की गई मात्रा भी एक समान होती है। सम्बन्धित मोटर मार्गो के प्रकरण में डब्ल्यू0बी0एम0 के ऊपर पी0सी0 की प्रथम सतह प्राईमर कोट 11448.90 वर्गमी0 एवं 15320.50 वर्गमी0 होने के कारण इसके ऊपर की अन्य मदों जैसे टैक कोट, प्रीमिक्स कारपेट एवं सील कोट की मात्रा भी 11448.90 वर्गमी0 एवं 15320.50 वर्गमी0 ही होनी चाहिए थी। अतः विशिष्टियों के विपरीत अधिक मात्रा में प्रीमिक्स कारपेट एवं सील कोट का उपयोग कर न केवल रु0 39,807.35 का निरर्थक व्यय किया गया अपितु मोटर मार्ग की गुणवत्ता से भी खिलवाड किया गया। विवरण निम्नवत् हैः–

मार्ग का नाम	सम्पादित प्राईमर एवं टैक कोट	सम्पादित प्रीमिक्स कारपेट	सम्पादित सील कोट	प्रीमिक्त कारपेट में आधिक्य (+)/ कमी (-)	सील कोट में आधिक्य (+)/ कमी (-)	प्रीमिक्त कारपेट में अधिक भुगतान	सील कोट में अधिक भुगतान
घोडाखाल से धुलई	11448.90	11424.45	11744.32	(-) 24.45 @ 170.00	(+) 295.42 @ 80.00	-	23633.60
अमेल से खोला	15320.50	15391.75	15391.75	(+) 71.25 @ 152.00	(+) 71.25 @ 75.00	10830.00	5343.75
योग :–						**10830.00**	**28977.35**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि मोटर मार्गों में प्राईमर कोट एवं टैक कोट की मापें स्थल के अनुसार पृथक से ली गई है जिसके कारण भिन्नता हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि पी0सी0 की मदों की पृथक से मापें ली गई तो भी मार्ग की लम्बाई एवं चौडाई एक समान होने के कारण समस्त मदों की सम्पादित मात्रा भी एक समान होनी चाहिए थी।

अतः विशिष्टियों के विपरीत कार्य सम्पादन कर रु0 39,807 का निरर्थक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–2: निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 7.88 लाख का व्ययाधिक्य।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की निर्देशिका प्रस्तर 8.5 (vi) के अनुसार पहाडी राज्यों में निर्माण कार्य के आकलन दो भागों में तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में फॉरमेशन कटिंग, ढाल स्थिरीकरण, बचाव कार्य और निकासी कार्य तथा द्वितीय चरण में पेंवमेंन्ट के कार्य जैसे ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटुमिन की सतह बिछाने का कार्य सम्मिलित किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि हरतपा से हल्ली मोटर मार्ग के आगणन एवं अनुबन्ध में स्टेज–। के कार्यों के साथ जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री का प्रावधान कर सम्पादित किया गया, जबकि निर्देशिका के अनुसार ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह का कार्य द्वितीय चरण के कार्यों में बिटुमिन के साथ किया जाना चाहिए था। सम्पादित जी0एस0बी0 का विवरण निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम	अन्तिम देयक के अनुसार स्थानीय जी0एस0बी0		अधिक भुगतान
	सम्पादित मात्रा (cum)	दर	
हरतपा से हली	2317.01	340.00	787783.40
योगः–			**787783.40**

इसप्रकार, निर्देशिका के विपरीत स्टेज–। में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री सम्पादित कर रु0 7.88 लाख का निरर्थक व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि मोटर मार्ग के कुछ भाग में दल–दली जमीन होने तथा उस हिस्से में वाहनों के सुचारु रुप से आवागमन हेतु जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयोग की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फारमेशन कटिंग के पश्चात् ही इन समस्त कार्यों हेतु स्टेज–।। का प्रावधान है जिसमें डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटूमन की सतह बिछाने का कार्य किया जाता है ताकि मार्ग निर्माण से योजना के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो सके। सम्बन्धित मोटर मार्गों में बिना फारमेशन कटिंग के ही जी0एस0बी0 का प्रावधान कर सम्पादित किया जाना न केवल ग्रामीण सडक मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत था अपितु रु0 7.88 लाख का अनावश्यक दुरुपयोग था।

अतः निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 7.88 लाख का निरर्थक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
30 / 2011–12	1	2
108 / 2016–17	1	1, 2 एवं 3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
30 / 2011–12	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
108 / 2016–17	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) माप पुस्तिका सं0 61/एल, 72/एल, 74/एल एवं 37/एल।

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई0 पी0सी0 जोशी	अधिशासी अभियंता	01.12.2016 से 16.08.2017
2.	ई0 उत्तम चन्द्र		17.08.2017 से 16.10.2017
3.	ई0 अतुल कुमार पन्त		16.10.2017 से 30.06.2018
4.	ई0 उत्तम चन्द्र		30.06.2018 से 16.07.2018
5.	ई0 के0एस0 बिष्ट		16.07.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, ज्योलीकोट (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र